

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक २६ सितम्बर, 2018

क्रमांक/२१२५/2178/2018/ई/चार, विभागीय आदेश क्रमांक/1355/1333/2016/ई/चार, दिनांक 16.6.2016 द्वारा श्रीमती अर्पिता खरे (मध्यप्रदेश वित्त लेखा सेवा) संयुक्त संचालक (वित्त) सेंटर फॉर गुड्स गर्वनेंस हैदराबाद की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि की गई थी। प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 8.9.2018 को समाप्त हो गई है। अतः श्रीमती अर्पिता खरे की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 9.9.2018 से 8.9.2019 तक एक वर्ष की वृद्धि जाती है, प्रतिनियुक्ति अवधि में इसके पश्चात् वृद्धि नहीं की जायेगी।

2/- श्रीमती खरे की प्रतिनियुक्ति शर्तें पूर्ववत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(विजय कठाने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक २६ सितम्बर, 2018

पृष्ठांकन क्र./२१२६ /2178/2018/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
 02. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 03. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 04. संचालक, सेंटर फॉर गुड्स गर्वनेंस हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
 05. संबंधित अधिकारी-श्रीमती अर्पिता खरे (मध्यप्रदेश वित्त सेवा) संयुक्त संचालक सेंटर फॉर गुड्स गर्वनेंस, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
 06. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजय कठाने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग